प्रारूप–झ

अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र का नवीनीकरण
(Renewal of fire & Life Safety Certificate)

यूआईडी संख्या–यूपीएफएस/2019/1746/जीजैडबी/गाजि0/157/सीएफओ/1149
दिनांक: 09.01.2019

प्रमाणित किया जाता है कि **मैसर्स एम0 आर0 प्रोव्यू रियलटेक प्रा0लि0** द्वारा प्लाट/खसरा नम्बर–376,377 एवं 378 ग्राम सिकन्दरपुर एवं खसरा नम्बर–293, 342से 360, 462, 493, 494 व 495 ग्राम–पसौडा गाजियाबाद पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग भवन के **ब्लाक–कादम–ए व बी, एबौनी–ए व बी, कोरल–ए व बी, सैंडल–ए व बी** जिनमे तलों की संख्या–12(बेस0+भूतल+11)(प्रत्येक)बेसमेन्ट की संख्या–01, जिनकी ऊँचाई–37.50 मी0(प्रत्येक), **तथा प्लाट एरिया–71180.00 वर्गमीटर** है। भवन का अधिभोग **मैसर्स एम0 आर0 प्रोव्यू रियलटेक प्रा0लि0** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्सम्बन्धी भारतीय मानक ब्यूरों के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी कोतवाली श्री सुशील कुमार** द्वारा दिनांक: 10.01.2019 को भवन स्वामी के **प्रतिनिधि श्री विजय कुमार रावत** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of fire & Life Safety Certificate) (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) आवासीय श्रेणी ए–4 के अन्तर्गत **वैधता तिथि 14.01.2019 से 13.01.2024 तक 05 वर्ष** के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन मे सभी मानको का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अर्न्तगत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ को कियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

निर्गत किये जाने का दिनांकः 14.01.2019
स्थान–गाजियाबाद।

(सुनील कुमार सिंह) 14/1/19
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गाजियाबाद

प्रतिलिपिः–

1–अग्निशमन अधिकारी साहिबाबाद गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2–मैसर्स एम0 आर0 प्रोव्यू रियलटेक प्रा0लि0 द्वारा प्लाट/खसरा नम्बर–376,377 एवं 378 ग्राम सिकन्दरपुर एवं खसरा नम्बर–293,342 से 360,462,493,494 व 495 ग्राम–पसौडा गाजियाबाद को अनुपालनार्थ।

Scanned by CamScanner

FOR GDA

कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांक:आर–78/जे0डी0/फा0स0/लखनऊ–13(गाजि0)/ 86/293 दिनांक: मार्च 24 2018,

सेवा मे,

नगर नियोजक,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
जनपद–गाजियाबाद।

विषय: **मैसर्स एम0आर0 प्रोव्यू रियलटेक प्रा0लि0 द्वारा खसरा नं0–376, 377 एवं 378, ग्राम सिकन्दापुर एवं खसरा नं0–293, 342 से 360, 482, 493, 494 एवं 495 ग्राम पसौण्डा जनपद गाजियाबाद उ0प्र0 पर नवनिर्मित आवासीय भवन के ब्लॉक–02, के टावर नं0–01, में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं का कम्प्लीशन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

सन्दर्भ: यू0आई0डी0:2015/14897/जीजैडबी/गाजियाबाद/904/जे0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं का कम्प्लीशन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद कार्यालय से किया गया है।

उक्त प्रश्नगत भवन का स्थलीय निरीक्षण एवं अग्निशमन व्यवस्थाओं का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी हिण्डन, साहिबाबाद गाजियाबाद श्री अबुल अब्बास हुसैन से कराया गया तो उनकी संस्तुति आख्या पत्रांक: भ–01/एफएसहिण्डन–2018 दिनांक: 08–02–2018 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद श्री सुनील कुमार सिंह को उपलब्ध करायी गयी तथा उनके द्वारा सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या पत्रांक:97/2018 दिनांक: 08–02–2018 के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी जिसका अधोहस्ताक्षरी द्वारा सुसंगत मानको के अनुसार परीशीलन किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:–

प्रश्नगत भवन को पूर्व में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र का विवरण:– प्रश्नगत भवन को इस कार्यालय के समाकं पत्र दिनांक: 27–05–2013 के द्वारा कम्पाउण्डिंग प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

भवन की संरचना:– कुल प्लाट एरिया–71,180.00 वर्ग मी0 है, जिसमें निर्मित ब्लॉक–02, के टावर नं0–01, का फ्लोरवाईज एरिया विवरण निम्नवत है:–

क0सं0	नाम टावर	तलों का विवरण	निर्मित भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	कुल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	ऊचॉई मी0।
01	ब्लॉक–02, के टावर नं0–01,	02बेस0+भूतल एवं 09 तल	670.234	8519.655	33.00
02	बेसमेन्ट:–प्रश्नगत भवन में डबल बेसमेन्ट लोअर एवं अपर जिनका कवर्ड एरिया– वर्ग मी0 प्रत्येक है।				

भवन का अधिभोग विवरण:– प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0–2005 की आवासीय भवन श्रेणी ए0–04 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्था:–

1–पहुँच मार्ग:– प्रश्नगत भवन के सामने 30.00 मी0 चौडा रोड उपलब्ध है। जो मानको के अनुसार है।

2–प्रवेश द्वार:– प्रश्नगत भवन में प्रवेश/निकास द्वार जिनकी चौडाई 04.50 मी0 उपलब्ध है।

3–सैटबेक:– प्रश्नगत भवन का सैटबेक निम्नवत है:–

ए0–अग्रभाग–12.00 मी0।
बी0–पृष्ठ भाग–12/09.00 मी0।
सी0–पार्श्व भाग प्रथम–09.13 मी0।
डी0–पार्श्व भाग द्वितीय–12.00 मी0।

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत भवन के सैटबेक भवन विनियमावली के अनुसार उपलब्ध है। तथा अग्निशमन वाहनों की आवश्यकताओं हेतु 06–06 मी0 मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त मार्ग सदैव अवरोध रहित ओपन टू स्काई रखे जाने अनिवार्य होगे। जिसमें किसी प्रकार का स्थायी/अस्थाई निर्माण कार्य एवं पार्किंग अनुमन्य नही होगी। सैटबेक सदैव अवरोध मुक्त रखा जाये।

4–निकास मार्ग:– प्रश्नगत भवन के ब्लॉक–02, के टावर नं0–01 में 02 अदद स्टेयरकेस जिनकी चौडाई 01.50 व 01.25 मी0 उपलब्ध है। तथा बेसमेन्ट में रैम्प प्राविधानित है। जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5–रिफ्यूज एरिया:– प्रश्नगत भवन के प्रत्येक फ्लैट में बालकानी का प्राविधान किया गया है, जो मानको के अनुसार है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:– प्रश्नगत निर्मित भवन मे नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 एवं उसमे सन्दर्भित बी0आई0एस0–3844 आदि के सुसंगत मानको के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं स्थापित एवं कार्यशील पायी गयी:–

1–होजरील/डाउनकामर:–प्रश्नगत निर्मित भवन के प्रत्येक तल पर होजरील, डाउनकामर लैण्डिंग वाल्व एन0बी0सी0 के अनुसार कार्यशील दशा मे स्थापित है।

2–भूमिगत टैंक:–प्रश्नगत भवन मे अग्निशमन कार्यो हेतु 1,75,000 एक लाख पिचत्तर हजार लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक स्थापित एवं कार्यशील दशा मे है।

(अ[illegible] कुमार)
संयुक्त नि[illegible] [illegible] सर्विस

Scanned by CamScanner

FOR GDA

3–पम्पः–भूमिगत टैंक के पास 1620 एल0पी0एम0 क्षमता का 01 अदद मैन विद्युत चालित पम्प व समान क्षमता का डीजल पम्प एवं 180 एल0पी0एम0 क्षमता का जौकी पम्प कार्यशील दशा में स्थापित है।

4–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):–भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0–2190 के अनुसार कार्यशील दशा मे स्थापित पाये गये।

5–टेरिस टैंकः–प्रश्नगत भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10,000 दस हजार लीटर का कार्यशील दशा में स्थापित है।

6–टेरिस पम्पः– प्रश्नगत भवन की टेरिस पर टेरिस पम्प एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांच्छनीय नही है।

7–वेटराईजरः– प्रश्नगत निर्मित भवन मे वेटराइजर सिस्टम मानको के अनुसार स्थापित है।

8–यार्ड हाईड्रेण्टसः– प्रश्नगत निर्मित भवन मे रिंग लाइन एवं यार्ड फायर हाईड्रेन्टस मानको के अनुसार स्थापित है।

9–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टमः– प्रश्नगत भवन के सम्पूर्ण बेसमेन्ट एवं टावर–ए0 व बी0 के सम्पूर्ण भवन के समस्त तलों पर आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम मानको के अनुसार कार्यशील दशा में स्थापित है।

10–आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टमः– प्रश्नगत भवन में आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0–2005 की टेबिल–23 के अनुसार वांच्छनीय नही है।

11–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः– प्रश्नगत सम्पूर्ण भवन मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार स्थापित है।

12–स्मोक एक्सट्रेशन सिस्टमः– प्रश्नगत भवन में डबल बेसमेन्ट निर्मित है, जिसमें स्मोक निकासी हेतु स्मोक एक्सट्रेशन फैन स्थापित है।

13–प्रेशराईजेशनः– प्रश्नगत भवन में प्रेशराईजेशन सिस्टम वांच्छनीय नही है।

14–पी0ए0 सिस्टमः– प्रश्नगत भवन में पी0ए0 सिस्टम मानको के अनुसार स्थापित है।

15–एग्जिट साईनेजः– प्रश्नगत भवन मे एग्जिट साईनेज मानको के अनुसार स्थापित है।

अतः उपरोक्तानुसार संस्तुति आख्याओं के आधार पर प्रश्नगत भवन मैसर्स एम0आर0 प्रोव्यू रियलटेक प्रा0लि0 द्वारा खसरा नं0–376, 377 एवं 378, ग्राम सिकन्दापुर एवं खसरा नं0–293, 342 से 360, 462, 493, 494 एवं 495 ग्राम पसौण्डा जनपद गाजियाबाद उ0प्र0 पर नवनिर्मित आवासीय भवन के ब्लॉक–02, के टावर नं0–01, में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं का कम्प्लीशन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के अधिन निर्गत किया जाता हैः–

1–भवन प्रबन्धक को निर्देशित करने का कष्ट करे कि भवन मे अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा मे बनाऐं रखने हेतु मैन्टीनेन्स सैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा मे रखा जायें।

2–भवन मे स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु एन0बी0सी0–2016 के अनुसार नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त रखा जाये।

3–भवन मे किसी प्रकार का निर्माण कराये जाने से पूर्व भवन विनियमावली के अनुसार अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

4–भवन मे कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल कराई जायें तथा एन0बी0सी0–2016 के अनुसार इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान तैयार कर इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाए।

5–भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ के अनुरक्षण के अभाव मे अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा मे पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा।

उपरोक्त के विपरीत किसी भी कार्य के लिये भवन स्वामी व्यक्तिगत रूप से स्वयं उत्तरदायी होगा एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक फायर सर्विस

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक,फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपिः 1–उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गाजियाबाद को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
3–अग्निशमन अधिकारी हिण्डन, साहिबाबाद गाजियाबाद को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
4–मैसर्स एम0आर0 प्रोव्यू रियलटेक प्रा0लि0 द्वारा खसरा नं0–376, 377 एवं 378, ग्राम सिकन्दापुर एवं खसरा नं0–293, 342 से 360, 462, 493, 494 एवं 495 ग्राम पसौण्डा जनपद गाजियाबाद उ0प्र0 को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

Scanned by CamScanner